भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †115

सोमवार, 3 फरवरी, 2025/14 माघ, 1946 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

दिल्ली में पर्यटन अवसंरचना और यमुना रिवरफ्रंट का विकास

†115. श्री मनोज तिवारीः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार दिल्ली में यमुना नदी के किनारे को एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए कदम उठा रही है;

(ख) पर्यटन और मनोरंजन उद्देश्यों के लिए यमुना नदी के किनारों को विकसित करने के लिए दिल्ली राज्य सरकार के साथ समन्वय से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यमुना नदी के किनारे के सौंदर्यकरण, पर्यावरणीय बहाली और आधारभूत ढांचे के विकास के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है और यदि हां, तो उपयोग की गई निधि का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यमुना नदी के किनारे प्रदूषण और अतिक्रमण जैसे मुद्दे एक पर्यटक स्थल के रूप में इसकी संभावना को प्रभावित कर रहे हैं और इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा "अतुल्य भारत" और सिटी टूरिज्म सर्किट जैसी पहलों के तहत दिल्ली में अन्य प्रमुख पर्यटक आकर्षणों के साथ यमुना रिवरफ्रंट को एकीकृत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (ङ): पर्यटन मंत्रालय अपनी अनेक पहलों के माध्यम से पूरे देश में नदी तटों सहित देश के विभिन्न पर्यटन स्थलों और उत्पादों को बढ़ावा देता है। इस तरह के प्रचार विभिन्न मंचों पर विभिन्न विपणन पहलों, आयोजनों, वेबसाइटों, सोशल मीडिया प्रचार, प्रचार सामग्री आदि के माध्यम से किए जाते हैं।

जैसा कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली द्वारा सूचित किया गया है, दिल्ली पर्यटन और परिवहन विकास निगम लिमिटेड ने "दिल्ली पर्यटन हेरिटेज वॉक फेस्टिवल" के एक भाग के रूप में "यमुना के घाट पर नदी के शांत किनारे का अनुभव" के नाम से एक

हेरिटेज वॉक की घोषणा की थी, जिसका उद्देश्य यमुना रिवरफ्रंट के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना था।

पर्यटन मंत्रालय स्वदेश दर्शन, 'तीर्थस्थल जीर्णोद्धार एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' की अपनी चल रही योजनाओं के माध्यम से नदी तटों पर सुविधाओं के विकास सहित पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में सहयोग प्रदान करता है।

जिन स्थलों की पहचान की गयी है, उनसे संबंधित परियोजनाओं के प्रस्ताव संबंधित राज्य सरकारों/संघाज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा परिकल्पित और तैयार किए जाते हैं। पर्यटन मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के तहत रिवरफ्रंट सहित पर्यटन स्थलों के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए समय-समय पर राज्यों/संघराज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं। परियोजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना सतत रुप से चलने वाला कार्य है और यह कार्य योजना दिशानिर्देशों में निर्धारित प्रक्रियाओं और आवश्यकताओं के अनुसार किए जाते हैं।

पर्यटन और मनोरंजन के उद्देश्य से यमुना रिवरफ्रंट को विकसित करने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा कोई परियोजना स्वीकृत नहीं की गई है।

जल राज्य का विषय है, शहरी क्षेत्रों में लागू मानकों के अनुसार जल और जल निकायों की गुणवत्ता का प्रबंधन और रखरखाव राज्य सरकार/शहरी स्थानीय निकायों की जिम्मेदारी है।

हालांकि, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने विभिन्न दिशानिर्देश जारी करने और राष्ट्रीय मिशनों अर्थात कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत) और अमृत 2.0 के कार्यान्वयन के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में जल के सतत प्रबंधन की दिशा में कई कदम उठाए हैं।

जल निकायों में अनुपचारित अपशिष्ट जल के प्रवाह को रोकने के लिए, अमृत के तहत, दिल्ली संघराज्य क्षेत्र ने ₹408.79 करोड़ की लागत से 07 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं शुरू की हैं, जिसमें अमृत के तहत दिल्ली में 68 एमएलडी क्षमता के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण/संवर्धन शामिल है।

अमृत 2.0 के तहत दिल्ली में 2,003.05 करोड़ रुपये की लागत की कुल 33 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें 178.15 एमएलडी एसटीपी क्षमता का निर्माण/संवर्धन शामिल है।

अमृत 2.0 के तहत जल निकाय कायाकल्प एक स्वीकार्य घटक है, अमृत 2.0 के तहत दिल्ली में ₹157.30 करोड़ की लागत की कुल 45 जल निकाय जीर्णोद्धार परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

****